



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

F. No. 55-24/2018-ACD/941

दिनांक: 03/01/2023

कार्यालयी आदेश संख्या 35/AA-2022-23

विषय: मानद निदेशक एवं उप-निदेशक, सीएसएलएल के मानदेय के संदर्भ में।

संदर्भ: माननीय कुलपति द्वारा दिनांक 29.12.2022 को अनुमोदित।

जैसा कि सिंधी भाषा एवं साहित्य केंद्र की सलाहकार समिति की हाल में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद् कोष से सिंधी भाषा एवं साहित्य केंद्र के मानद निदेशक एवं उप-निदेशक के मासिक मानदेय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति 06.10.2022 से प्रभावी है।

1. प्रो. संजीव कुमार दुबे, मानद निदेशक, सीएसएलएल - 6,000/- प्रतिमाह
2. डॉ. अजय सिंह चौहान, उप-निदेशक, सीएसएलएल - 4,000/- प्रतिमाह

उक्त मानदेय लागू कर-स्तर (टैक्स स्लैब) के अनुसार प्रयोज्य आयकर कटौती के अधीन है। यह कार्यालयी आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

इ.आ. 4500
03/01/23

कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रति:

1. वित्त अधिकारी (कार्यवाहक)
2. उप कुलसचिव (अकादमिक)
3. सहायक कुलसचिव (अकादमिक एवं वित्त)
4. आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी
5. आहरण एवं संवितरण अधिकारी
6. कुलपति सचिवालय
7. कार्यालयी आदेश फाइल
8. गार्ड फाइल

